उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के हॉस्पिटल बोर्ड की चतुर्थ बैठक दिनांक 24.08.2026 का कार्यवृत्त

उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के हॉस्पिटल बोर्ड की तृतीय बैठक का आयोजन मा0 कुलपति महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 24.08.2026 को प्रशासनिक भवन के ई0सी0 हाल में किया गया। हॉस्पिटल बोर्ड की चतुर्थ बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया :–

1. डॉ0 अजय सिंह, मा0 कुलपति, यूपीयूएमएस, सैफई।
2. डॉ0 रमाकान्त यादव, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष न्यूरोलॉजी एवं प्रतिकुलपति, यूपीयूएमएस, सैफई।
3. डॉ0 आदेश कुमार, संकायाध्यक्ष–चिकित्सा संकाय, यूपीयूएमएस, सैफई।
4. डॉ0 एस0पी0 सिंह, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, जनरल सर्जरी एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, यूपीयूएमएस, सैफई।
5. डॉ0 अमित सिंह, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, सी0वी0टी0एस0 एवं चिकित्सा अधीक्षक, यूपीयूएमएस, सैफई।
6. डॉ0 राजेश कुमार वर्मा, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, माईक्रोबायोलाजी, यूपीयूएमएस, सैफई।
7. डॉ0 ऊषा शुक्ला, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, एनेस्थीसियोलाजी, यूपीयूएमएस, सैफई।
8. डॉ0 दिनेश कुमार, प्रोफसर एवं विभागाध्यक्ष, पीडियाट्रिक्स, यूपीयूएमएस, सैफई।
9. डॉ0 मनोज कुमार, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, जनरल मेडिसिन, यूपीयूएमएस, सैफई।
10. डॉ0 रवि रंजन, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, आप्थलमोलाजी, यूपीयूएमएस, सैफई।
11. डॉ0 आदिल रहमान, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, बायोकमेस्ट्री, यूपीयूएमएस, सैफई।
12. डॉ0 जितेन्द्र प्रताप सिंह, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, ई0एन0टी0, यूपीयूएमएस, सैफई।
13. डॉ0 सीमा दयाल, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, पैथालोजी, यूपीयूएमएस, सैफई।
14. डॉ0 कल्पना कुमारी, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, आब्स एण्ड गायनी, यूपीयूएमएस, सैफई।
15. डॉ0 प्रशान्त मिश्रा, विभागाध्यक्ष इमरजेन्सी मेडिसिन, यूपीयूएमएस, सैफई।
16. डॉ0 दुर्गेश कुमार, उप–चिकित्सा अधीक्षक, आई0पी0डी0, यूपीयूएमएस, सैफई।
17. डॉ0 अतुल कुमार सिंह, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, ओरल मैक्जिलोफेशियल सर्जरी, यूपीयूएमएस, सैफई।
18. डॉ0 स्वेता एस कुमार, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, डर्मेटोलाजी, यूपीयूएमएस, सैफई।
19. डॉ0 कैलाश मित्तल, प्रोफेसर, रेडियोथेरैपी, यूपीयूएमएस, सैफई।
20. डॉ0 डी0पी0 सिंह, प्रोफेसर, माईक्रोबायोलाजी, यूपीयूएमएस, सैफई।
21. डॉ0 रफे ए रहमान, इन्चार्ज सी0ए0सी0 (आई0टी0), यूपीयूएमएस, सैफई।
22. डॉ0 अर्पित वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, फार्माकोलाजी, यूपीयूएमएस, सैफई (ऑनलाईन प्रतिभाग किया)।
23. डॉ0 अतुल सक्सेना, एसोसिएट प्रोफेसर, प्लास्टि सर्जरी एवं बर्न सेन्टर, यूपीयूएमएस, सैफई।
24. डॉ0 विनय कनौजिया, एसोसिएट प्रोफेसर, पी0एम0आर0, यूपीयूएमएस, सैफई।
25. डॉ0 पंकज कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, जनरल मेडिसिन, यूपीयूएमएस, सैफई।
26. डॉ0 अंकित सचान, उप–चिकित्सा अधीक्षक, सुपरस्पेशियालिटी ओ0पी0डी0, यूपीयूएमएस, सैफई।
27. डॉ0 सिद्धार्थ कुमार, उपचिकित्सा अधीक्षक, एम0एस0 आफिस, यूपीयूएमएस, सैफई।
28. डॉ0 हिमान्शू प्रिन्स यादव, उपचिकित्सा अधीक्षक–2, यूपीयूएमएस, सैफई।
29. डॉ0 रश्मि, उप–चिकित्सा अधीक्षक (स्पेशियालिटी ओ0पी0डी0), यूपीयूएमएस, सैफई (ऑनलाईन प्रतिभाग किया)।
30. डॉ0 सजग कुमार गुप्ता, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, न्यूरो सर्जरी, यूपीयूएमएस, सैफई।
31. डॉ0 प्रान्शू पाण्डेय, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, माईक्रोबायोलाजी, यूपीयूएमएस, सैफई।
32. डॉ0 सुभाष चन्द्रा, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, कार्डियोलाजी, यूपीयूएमएस, सैफई।
33. डॉ0 यतेन्द्र मोहन, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, ट्रान्सफ्यूजन मेडिसिन, यूपीयूएमएस, सैफई।
34. डॉ0 सृष्टिधर प्रसाद, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, बायोकमेस्ट्री, यूपीयूएमएस, सैफई।
35. डॉ0 अजय कुमार, इन्चार्ज सेन्ट्रल लैब, बायोकमेस्ट्री, यूपीयूएमएस, सैफई।
36. डॉ0 संजय कनौजिया, इन्चार्ज सेन्ट्रल लैब, पैथालोजी, यूपीयूएमएस, सैफई।
37. डॉ0 विश्वनाथ सिंह यादव, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, को–इन्चार्ज, सेन्ट्रल लैब माईक्रोबायोलाजी, यूपीयूएमएस, सैफई।
38. श्रीमती रूपम दीक्षित, नर्सिंग अधीक्षिका, यूपीयूएमएस, सैफई।
39. श्रीमती गीता कुमारी, नर्सिंग अधीक्षिका, यूपीयूएमएस, सैफई।
40. श्री अताउर्रहमान खान, असिस्टेन्ट इन्जीनियर सिविल, यूपीयूएमएस, सैफई।
41. श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ लेखाधिकारी (प्रतिनिधि वित्त अधिकारी), यूपीयूएमएस, सैफई।
42. श्रीमती अनुराधा सिंह राजपूत, चीफ फार्मासिस्ट, यूपीयूएमएस, सैफई।
43. श्री मनोज कुमार मौर्या, एम0एस0एस0ओ0 ग्रेड–1, यूपीयूएमएस, सैफई।

इस प्रकार हॉस्पिटल बोर्ड की चतुर्थ बैठक दिनांक 24.08.2026 में कुल 43 सदस्य उपस्थित रहें।

बैठक में एजेण्डावार प्रस्तावों पर विचार–विमर्श उपरान्त हॉस्पिटल बोर्ड की कार्यवाही और लिए गये निर्णय निम्नवत हैं:–

एजेण्डा बिन्दु/विषय	एजेण्डा टिप्पणी
एजेण्डा बिन्दु 4.1 **हॉस्पिटल बोर्ड की तृतीय बैठक दिनांक 20.06.2026 के कार्यवृत्त की पुष्टि।**	उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के हॉस्पिटल बोर्ड की तृतीय बैठक दिनांक 20.06.2026 के कार्यवृत्त की पुष्टि की जानी अपेक्षित है। **प्रस्ताव:** – हॉस्पिटल बोर्ड की तृतीय बैठक दिनांक 20.06.2026 का कार्यवृत्त हॉस्पिटल बोर्ड के सदस्यों को उपलब्ध कराया गया था, किसी भी सदस्य से हॉस्पिटल बोर्ड के कार्यवृत्त पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। उक्त के दृष्टिगत हॉस्पिटल बोर्ड की तृतीय बैठक दिनांक 20.06.2026 के कार्यवृत्त की पुष्टि करना चाहें।

हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय: – हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा हॉस्पिटल बोर्ड की तृतीय बैठक दिनांक 20.06.2026 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

एजेण्डा बिन्दु 4.2 **हॉस्पिटल बोर्ड की तृतीय बैठक दिनांक 20.06.2026 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या**	उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के हॉस्पिटल बोर्ड की तृतीय बैठक दिनांक 20.06.2026 की अनुपालन आख्या निम्नवत है–

एजेण्डा बिन्दु	निर्णय का सारांश	अनुपालन आख्या
3.2 (1.5)	**हॉस्पिटल बोर्ड की प्रथम बैठक के एजेण्डा बिन्दु–1.5 विश्वविद्यालय के रेजीडेन्ट डाक्टर्स एवं यू0जी0 स्टूडेन्ट्स को निःशुल्क चिकित्सकीय सुविधा प्रदान किये जाने विषयक।** **हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय :– निर्णय–** एजेण्डा बिन्दु–1.5 में प्रस्तुत अनुपालन आख्या के कम में हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गये– 1. विश्वविद्यालय के रेजीडेन्ट डाक्टर्स एवं यू0जी0 स्टूडेन्ट्स को निःशुल्क चिकित्सकीय सुविधा प्रदान किये जाने हेतु आवश्यक हेल्थ–बुक को प्राथमिकता के आधार पर प्रिन्ट करवाते हुए रेजिडेन्ट/छात्रों को तत्काल उपलब्ध कराया जाये। 2. रेजीडेन्ट डाक्टर्स एवं यू0जी0 स्टूडेन्ट्स को समय–समय पर प्रस्तावित सभी जॉचे जैसे ब्लड टेस्ट/सी.टी./एम.आर.आई. इत्यादि हेल्थ–बुक में प्रविष्टि के बाद ही जीरो बिलिंग (निःशुल्क) हेतु मान्य होगी।	कार्यान्वित (Implemented) प्रभारी अधिकारी, केन्द्रीय भण्डार ने अपने पत्रांक 320/सी.एस./यूपीयूएमएस / 2026–27 दिनांक 10 अगस्त, 2026 के द्वारा अवगत कराया है कि विश्वविद्यालय के रेजीडेन्ट डाक्टर्स एवं यू0जी0 स्टूडेन्ट्स को निःशुल्क चिकित्सकीय सुविधा प्रदान किये जाने हेतु आवश्यक हेल्थ–बुक को प्रिन्ट करवाते हुए संकायाध्यक्ष, चिकित्सा संकाय को वितरण हेतु प्राप्त करवा दिया गया है तथा हेल्थ–बुक संकायाध्यक्ष स्तर से छात्र/छात्राओं को वितरित की जा रही हैं।
3.2 (1.8)	**हॉस्पिटल बोर्ड की प्रथम बैठक के एजेण्डा बिन्दु–1.8 नर्सिंग संवर्ग के पदधारक–नर्सिंग आफीसर, सीनियर नर्सिंग आफीसर, असिस्टेन्ट नर्सिंग सुपरीटेन्डेन्ट, डिप्टी नर्सिंग सुपरीटेन्डेन्ट, नर्सिंग सुपरीटेन्डेन्ट, चीफ नर्सिंग आफीसर के निर्धारित कार्य दायित्व निर्धारित/परिभाषित किये जाने हेतु।** **निर्णय–** हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि हॉस्पिटल बोर्ड के निर्णय के कम में समिति (मुख्य नर्सिंग अधिकारी, नर्सिंग यूनियन, चिकित्सालय एवं प्रशासन से नामित सदस्यों को सम्मिलित करते हुए) का गठन तत्काल कराया जाये तथा समिति सदस्यों	एम्स नई, दिल्ली द्वारा नर्सिंग संवर्ग के पदधारकों हेतु निर्धारित कार्य दायित्वों को विश्वविद्यालय के नर्सिंग संवर्ग हेतु लागू किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु एम्स नई, दिल्ली द्वारा नर्सिंग संवर्ग के पदधारकों हेतु निर्धारित कार्य दायित्वों को मुख्य नर्सिंग अधिकारी द्वारा नर्सिंग संवर्ग को सर्कुलेट करते हुए 15 दिवसों में आपत्ति मांगी जायेगी। तदोपरान्त मुख्य नर्सिंग अधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा

	द्वारा एम्स, एस.जी.पी.जी.आई., के.जी.एम.यू. एवं आर. एम.एल. में नर्सिंग कैडर के कार्य एवं उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में विद्यमान गाईडलाईन्स को आधार बनाते हुए एस0ओ0पी0 तैयार कर आगामी हॉस्पिटल बोर्ड की बैठक में अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।	अधीक्षक के माध्यम से पत्रावली कुलसचिव एवं मा0 कुलपति महोदय को निर्णयार्थ प्रस्तुत की जायेगी।
3.2 (1.9)	**हॉस्पिटल बोर्ड की प्रथम बैठक के एजेण्डा बिन्दु– 1.9 विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त टेक्नीशियन संवर्ग के कार्य निर्धारित करने विषयक।** **निर्णय–** हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि हॉस्पिटल बोर्ड के निर्णय के क्रम में समिति (समस्त स्टेकहोल्डर विभागों से सम्बन्धित चिकित्सक, प्रशासनिक एवं वित्त विभाग से सम्बन्धित कार्मिक एवं प्रत्येक टेक्नीशियन संवर्ग से सम्बन्धित एक कार्मिक) का गठन तत्काल कराया जाये तथा समिति का सुस्पष्ट प्रस्ताव तैयार कर आगामी हॉस्पिटल बोर्ड की बैठक में अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।	कार्यालय आदेश संख्या 1512/ यूपीयूएमएस/ अधि0–7(3357– सीडी) / 2026–27 दिनांक 06.07.2026 द्वारा समिति का गठन किया जा चुका है। समिति की आख्या के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
3.2 (1.10)	**हॉस्पिटल बोर्ड की प्रथम बैठक के एजेण्डा बिन्दु– 1. 10 मेडिकल सोशल सर्विस आफीसर के संवर्ग की स्थानान्तरण पॉलिसी के निर्धारण हेतु।** निर्णय– • हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि हॉस्पिटल बोर्ड के निर्णय (हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा समस्त नॉन फैकल्टी कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु भविष्य के लिए पॉलिसी निर्धारित करने हेतु UP Govt Transfer Policy Manual को आधार बनाते हुए uniform policy गठित करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया) के क्रम में समिति गठित करते हुए तत्काल कार्यवाही की जाए। • हॉस्टिल बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि हॉस्पिटल बोर्ड की बैठकों की ससमय अनुपालन आख्या सुनिश्चित करने हेतु उप–चिकित्सा अधीक्षक (चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय) को नामित किया जाये।	• कार्यालय आदेश संख्या यूपीयूएमएस / अधि–7/ (2127) / 2026 – 27 दिनांक 08.08.2026 द्वारा समिति का गठन किया जा चुका है। समिति की आख्या के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। • कार्यालय आदेश संख्या 245/एम. एस.(169–3)/ यूपीयूएमएस / 2026–27 दिनांक 03.07.2026 द्वारा उप– चिकित्सा अधीक्षक (चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय) को हॉस्पिटल बोर्ड की बैठकों की ससमय अनुपालन आख्या सुनिश्चित करने हेतु नामित किया गया है।
3.2 (1.12)	**हॉस्पिटल बोर्ड की प्रथम बैठक के एजेण्डा बिन्दु– 1. 12 चिकित्सालय के वार्ड/आईसीयू में भर्ती मरीजों के डिस्चार्ज के बाद मरीजों की Case Sheet File में प्रपत्रों को क्रमानुसार संरक्षित एवं प्रमाणित करवाते हुए चिकित्सा अभिलेख विभाग में जमा करवाने के संदर्भ में।** **निर्णय–** हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या पर अनुमोदन प्रदान करते हुए निम्नलिखित निर्देश दिये गये– 1. एम.आर.डी. के कार्यों को सुचारू रूप से सम्पादित कराने एवं पर्यवेक्षण हेतु प्रभारी अधिकारी, एम.आर. डी. नामित किया जाये। 2. एम.आर.डी. में रक्षित अनुपयोगी/अप्रचलित सामग्रियों/ प्रपत्रों/अभिलेखों का निष्पादन (Condemnation) किये जाने की कार्यवाही	बिन्दु संख्या–1 कार्यान्वित (Implemented) – (कार्यालय आदेश संख्या 302/एम.एस. (169–3)/यूपीयूएमएस/2026–27 दिनांक 30.07.2026 द्वारा डा0 अंकित सचान, उप–चिकित्सा अधीक्षक (सुपर स्पेशियालिटी ओ.पी.डी.) को प्रभारी अधिकारी एम.आर.डी. नामित किया गया है।) बिन्दु संख्या–2 सेंट्रल स्टोर के पास स्थित 03 कक्षों में रखे विभिन्न विभागों/वार्डो से प्राप्त हुए अनुपयोगी मेडिकल/ऑफिस रिकार्ड की सूची तैयार कर एम0आर0डी0 विभाग द्वारा अपने

<table>
<tr><td></td><td>कार्यालय आदेश संख्या 03 / यूपीयूएमएस / कुल0कार्या0 (3041–सीडी) / 2026–27 दिनांक 20.04.2026 द्वारा गठित समिति के माध्यम से कराते हुए अनुपालन आख्या आगामी हॉस्पिटल बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत की जाये।</td><td>पत्रांक 488 / एमआरडी / यूपीयूएमएस / 26–27 दिनांक 16 जुलाई, 2026 के माध्यम से अध्यक्ष निष्प्रयोज्य समिति (मेडिकल एवं ऑफिस रिकार्ड) को निष्पादन हेतु प्राप्त करवा दी गयी है।</td></tr>
<tr><td>3.3
(2.2)</td><td>हॉस्पिटल बोर्ड की द्वितीय बैठक के एजेण्डा बिन्दु– 2.2 विश्वविद्यालय के ट्रामा बिल्डिंग में स्थापित सी.टी. स्कैन मशीन एवं प्रस्तावित एम.आर.आई. की ऑन साइट रिपोर्टिंग / टेली रिपोर्टिंग एवं USG/ Doppler USG / USG Guided Biopsy / Drainage/ FNAC इत्यादि हेतु रेडियोलॉजिस्ट की सेवा प्राप्ति हेतु।

निर्णय–
हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या पर अनुमोदन प्रदान करते हुए निर्देशित किया गया कि संविदा पर रेडियोलाजिस्ट (एम.डी. / डी.एन.बी. / डी.एम.आर.डी.) की नियुक्ति हेतु निर्धारित शर्तों के अनुसार विज्ञापन विज्ञापित कर चयन की कार्यवाही मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के स्तर से शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण की जाये।</td><td>कार्यान्वित (Implemented)
(संविदा पर रेडियोलाजिस्ट की नियुक्ति हेतु विज्ञापित संख्या 287 / यूपीयूएमएस / सीएमएस / 178 / 2026 –27 दिनांक 15.07.2026 प्रकाशित किया गया था, जिसके सापेक्ष कोई भी रेडियोलॉजिस्ट साक्षात्कार हेतु उपस्थित नहीं हुए। उक्त विज्ञापन को कतिपय संशोधनों के साथ पुनः विज्ञापित किया जाना है। इस हेतु संशोधित विज्ञप्ति अनुमोदन हेतु हॉस्पिटल बोर्ड की चतुर्थ बैठक के एजेण्डा बिन्दु 4.9 पर नवीन एजेण्डा के रूप में प्रस्तुत है)</td></tr>
<tr><td>3.3
(2.3)</td><td>हॉस्पिटल बोर्ड की द्वितीय बैठक के एजेण्डा बिन्दु–2.3 विश्वविद्यालय की विभिन्न ओटी में स्थापित C-Arm मशीन के संचालन हेतु रेडियोलॉजी टेक्नीशियन को संबंद्ध करने हेतु।
<u>निर्णय</u>–हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या पर अनुमोदन प्रदान किया गया तथा निम्नलिखित निर्देश दिये गये–
1. बिन्दु संख्या–4 के कम में निर्देशित किया गया कि न्यूरोसर्जरी, आर्थोपेडिक एवं यूरोलॉजी ओटी में स्थापित C-Arm मशीन के संचालन एवं BRIT छात्रों के प्रशिक्षण हेतु रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन का ड्यूटी रोस्टर (जनरल ड्यूटी) विभागाध्यक्ष, रेडियोलाजी के स्तर से निर्गत किया जायेगा। न्यूरोसर्जरी ओटी में नाईट शिफ्ट हेतु रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन की ड्यूटी के सम्बन्ध में भविष्य में आवश्यकतानुसार निर्णय लिया जायेगा।
2. बिन्दु संख्या–5 के कम में निर्देश दिये गये कि न्यूरोसर्जरी, आर्थोपेडिक एवं यूरोलॉजी ओटी में स्थापित C-Arm मशीन के संचालन में प्रशिक्षण हेतु BRIT छात्रों का रोस्टर दो शिफ्टों (प्रातः 08.00 से 02.00 एवं अपरान्ह 02.00 से 08.00) में 15–15 दिवस के ब्लाक में लगाया जायेगा।</td><td>बिन्दु संख्या–2
कार्यान्वित (Implemented)

<u>बिन्दु संख्या–1</u>
विभागाध्यक्ष रेडियोलाजी के पत्र संख्या 214 / यूपीयूएमएस / रेडियो / 2025–26 दिनांक 04.06.2026 के अनुसार 14 वर्कस्टेशन के सापेक्ष कुल 42 (वर्तमान में 37) रेडियोग्राफी टेक्नीशियन कार्यरत हैं। अतः सी–आर्म मशीन के संचालन हेतु रेडियोलॉजी विभाग से टेक्निशियन को ओ0टी0 ड्यूटी के लिए भेज पाना संभव नही है। रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन एवं रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन की वर्तमान स्थिति निम्नवत हैः–
<table><tr><th colspan="3">रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन</th></tr><tr><td>स्वीकृत पर</td><td>भरे पद</td><td>खाली पद</td></tr><tr><td>105</td><td>37</td><td>68</td></tr></table>खाली पदों पर भर्ती के उपरान्त यूरोसर्जरी, आर्थोपेडिक एवं यूरोलॉजी ओटी में स्थापित C-Arm मशीन के संचालन हेतु रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन की पोस्टिंग की जायेगी।</td></tr>
<tr><td>3.4</td><td>उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (UPUMS), सैफई में Cloud-based Vendor Neutral Archive (VNA), Picture Archiving & Communication System (PACS) तथा AI/ML-enabled Radiology Information System (RIS) की स्थापना एवं राज्य के अन्य संस्थानों हेतु Scalable Framework विकसित किए जाने के संबंध में।</td><td>कार्यान्वित (Implemented)

(हास्पिटल बोर्ड के निर्णय के क्रम में कार्यपरिषद की 16वीं बैठक के एजेण्डा बिंदु 16.26 पर प्रस्तुत किया गया)</td></tr>
</table>

	<u>हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णयः</u> – शासकीय निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा अब तक किये गये कार्यों को संज्ञान में लेते हुए सैद्धान्तिक रूप से सहमति प्रदान की गयी तथा निर्देश दिये गये कि इस एजेण्डा को आगामी कार्यपरिषद की बैठक में नवीन एजेण्डा के रूप में प्रस्तुत किया जाये तथा उक्त प्रस्तावों पर कार्यपरिषद के निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाये।	
3.5	**विश्वविद्यालय के ऑपरेशन थियेटरों (OTs), गहन चिकित्सा इकाइयों (ICUs) एवं अन्य चिन्हित गंभीर रोगी देखभाल एवं प्रक्रिया–आधारित क्षेत्रों (Critical Care/ Procedure-Based Areas) जैसे Labour Room, Cath Lab, Dialysis Unit, Burn Unit, Blood Bank, Emergency Red Zone आदि हेतु Sterile Powder-Free Gloves को मानक उपयोग सामग्री (Standard Consumable) के रूप में अपनाए जाने के संबंध में।** **<u>हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णयः</u>** – हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए नियमानुसार कार्यवाही प्रचलित करने हेतु निर्देशित किया गया।	विभिन्न विभागों से Sterile Powder-Free Gloves हेतु मांगपत्र संकलित कर लिए गये हैं तथा वर्तमान में कृय प्रकिया प्रचलन में है।
3.6	**चिकित्सालय की आवश्यक सामग्रियों के सुगम, सुरक्षित एवं समयबद्ध परिवहन हेतु 02 लोडर वाहन क्रय किए जाने के संबंध में।** **<u>हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णयः</u>** – हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए अभियांत्रिकी विभाग के स्तर से वाहनों के तकनीकी Specifications निर्धारित कर प्रचलित शासकीय नियमों एवं संस्थागत क्रय प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक कार्यवाही प्रचलित करने हेतु निर्देशित किया गया।	चिकित्सालय के लिए 02 लोडर वाहन विश्वविद्यालय की आय/बचत से क्रय किये जाने हेतु प्रस्ताव वित्त समिति की 7वीं बैठक में दिनांक 21.08.2026 को एजेण्डा बिन्दु 7–3 (4) में प्रस्तुत किया जा चुका है।
3.7	**विश्वविद्यालय परिसर में मरीजों, मरीजों के परिजनों, चिकित्सकों, रेजीडेन्ट्स, अन्य कर्मचारियों एवं छात्र/ छात्राओं हेतु मदर डेयरी आउटलेट्स की स्थापना के संबंध में।** **<u>हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णयः</u>** – हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को नियमानुसार कार्यवाही प्रचलित करने हेतु अधिकृत किया गया।	कार्यान्वित (Implemented) उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा एवं मदर डेयरी फ्रूट एण्ड वेजीटेबल प्राइवेट लिमिटेड, पटपड़गंज नई दिल्ली के बीच विश्वविद्यालय में 04 आउटलेट फेज–वाइज (वन–बाई–वन) खोलने के संदर्भ में एम.ओ.यू. जून, 2026 में हस्ताक्षरित /लागू हो गया है।

3.8	**ब्लड बैंक TTI लैब में ID-NAT मशीन (नवीन उपकरण) की स्थापना हेतु M/s POCT Service द्वारा नवीनीकरण के कार्य का प्रस्ताव।** **<u>हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय</u>:** – हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा प्रस्ताव के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश दिये गये– 1. बिंदु संख्या 01 पर प्रस्तुत प्रस्ताव के संदर्भ में हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि Cobas 5800 System (Roche) मशीन में कौन–कौन सी जॉच की जा सकती है, के सन्दर्भ में M/s POCT से आख्या प्राप्त कर ली जाये। 2. बिंदु संख्या 04 पर प्रस्तुत प्रस्ताव के संदर्भ में हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया, चूँकि वर्तमान में विश्वविद्यालय में वर्तमान में कोई भी स्थायी जे.डी.एम.एम. नहीं है, अतः भविष्य में पत्रों एवं अन्य अभिलेखों में जे.डी.एम.एम. पदनाम का उल्लेख न किया जाये। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से विश्वविद्यालय स्तर पर किए गए पत्राचार के कम में धनराशि की स्वीकृति हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय से विभागाध्यक्ष, ट्रान्सफ्यूजन मेडिसिन विभाग द्वारा व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करते हुए फालो अप लिया जाएगा। 3. उपरोक्त प्रस्ताव के बिन्दु संख्या–4 व 5 में वित्तीय उपाशय निहित होने के कारण हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा उक्त प्रस्ताव को आगामी कार्य परिषद में नवीन एजेण्डा के रूप में प्रस्तुत किये जाने की संस्तुति की गयी।	1. डॉ0 आदित्य शिवहरे, नोडल अधिकारी ब्लड बैंक द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय में दिनांक 11.08.2026 को उपस्थित होकर मांगी गयी धनराशि के संबंध में वार्ता की गयी एवं अवगत कराया गया कि शासन स्तर से आर.ओ.पी. मंजूरी का इंतजार है। 2. हॉस्पिटल बोर्ड के निर्णय के कम में कार्यपरिषद की 16वीं बैठक के एजेण्डा बिंदु 16.27 पर निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जा चुका है। 3. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से आवंटित धनराशि की प्रत्याशा में प्रस्तावित टेस्ट को विश्वविद्यालय के व्यय पर कराए जाने हेतु प्रस्ताव विश्वविद्यालय की वित्त समिति की 7वीं बैठक में एजेण्डा दिनांक 21.08.2026 को एजेण्डा बिंदु 7–4 पर निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जा चुका है।
3.9	**आकस्मिक दुर्घटनाओं एवं मेडिको–लीगल प्रकरणों से सम्बन्धित मरीजों के समुचित प्रबंधन, अभिलेखीकरण एवं अभिलेखों के रख–रखाव हेतु तैयार की गयी एस0ओ0पी0 के सम्बन्ध में।** **<u>हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय</u>:** – हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करते हुए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि सभी सम्बन्धित को एस0ओ0पी0 प्रेषित की जाये तथा एस0ओ0पी0 पर राय/सुझाव उपलब्ध कराने हेतु 07 दिवस का समय दिया जाये। निर्धारित समयावधि में प्राप्त उपयुक्त राय/सुझावों को एस0ओ0पी0 में अपडेट किया जाए एवं कोई भी सुझाव प्राप्त न होने की दशा में यह मान लिया जाएगा की किसी भी संबंधित को उक्त एस0ओ0पी0 पर कोई आपत्ति नहीं है। तत्पश्चात एस0ओ0पी0 को लागू कर दिया जाये।	कार्यान्वित (Implemented) (कार्यालय आदेश संख्या 277/यूपीयूएमएस /सीएमएस(23)/ 2026–27 दिनांक 13 जुलाई, 2026 के द्वारा एस0ओ0पी0 को लागू कर दिया गया है।)
3.10	**चिकित्सालय में भर्ती निराश्रित, बेसहारा एवं लावारिस मरीजों के पुनर्वास हेतु तैयार की गयी एस0ओ0पी0 के सम्बन्ध में।** **<u>हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय</u>:** – हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करते हुए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि सभी सम्बन्धित को एस0ओ0पी0 प्रेषित की जाये तथा एस0ओ0पी0 पर राय/सुझाव उपलब्ध कराने हेतु 07 दिवस का समय दिया जाये। निर्धारित समयावधि में प्राप्त उपयुक्त	कार्यान्वित (Implemented) (कार्यालय आदेश संख्या 277/यूपीयूएमएस / सीएमएस(23) / 2026–27 दिनांक 13 जुलाई, 2026 के द्वारा एस0ओ0पी0 को लागू कर दिया गया है।)

	राय/सुझावों को एस0ओ0पी0 में अपडेट किया जाए एवं कोई भी सुझाव प्राप्त न होने की दशा में यह मान लिया जाएगा की किसी भी संबंधित को उक्त एस0ओ0पी0 पर कोई आपत्ति नहीं है। तत्पश्चात एस0ओ0पी0 को लागू कर दिया जाये।	
3.11	**मेसर्स अनिल सर्जिकल के द्वारा चिकित्सालय के आईसीयू विभाग में पी.सी.टी. टेस्ट हेतु Europium Immunoassay System को निःशुल्क स्थापित करने के संबंध में।** **<u>हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णयः</u>** – हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि मेसर्स अनिल सर्जिकल एवं M/s POCT द्वारा प्रस्तुत PCT Test हेतु दर एवं PCT Test हेतु चिकित्सालय में आने वाली लागत का तुलनात्मक विवरण तैयार किया जाये। तत्पश्चात न्यूनतम दर वाली फर्म को एम0आई0सी0यू0 में सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त मशीन लगाने हेतु अधिकृत किया जायेगा।	कार्यालय आदेश संख्या 289/एमएस (169–3)/यूपीयूएमएस/2026–27 दिनांक 25 जुलाई, 2026 के द्वारा समिति को गठित करते हुए दिनांक 27 जुलाई, 2026 को बैठक आहूत की गयी। उक्त बैठक के द्वारा तुलनात्मक विवरण तैयार कर हॉस्पिटल बोर्ड की चतुर्थ बैठक के नवीन एजेण्डा बिन्दु 4. 11 पर निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।
3.12	**विश्वविद्यालय के सभी संकायों में 06 माह का आब्जर्वरशिप प्रोग्राम प्रारम्भ करने हेतु तैयार की गयी एस0ओ0पी0 के अनुमोदन के संबंध में।** **<u>हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णयः</u>** – हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए एस0ओ0पी0 में निम्नलिखित संशोधनों/समावेश (Inclusion) करने हेतु निर्देशित किया गया– 1. बिन्दु सं.–2 भारतीय प्रशिक्षुओं से ऑब्जर्वरशिप की अवधि के लिए रू.3,000/– प्रति माह की दर से रू.18,000/– (केवल अठारह हजार रुपये) का शुल्क अग्रिम रूप से लिया जाएगा। विदेशी प्रशिक्षुओं पर लागू होने वाले ऑब्जर्वरशिप शुल्क का निर्धारण समिति द्वारा किया जाएगा। कोई भी अभ्यर्थी यदि एक बार विश्वविद्यालय के किसी विभाग में आब्जरवरशिप कर लेता है, तो वह आवश्यकतानुसार दुबारा भी आब्जरवरशिप कर सकता है, जिस हेतु अवधि की कोई बाध्यता नहीं होगी। अभ्यर्थी को जितनी अवधि के लिए आब्जरवरशिप करनी होगी, उतनी ही अवधि का शुल्क जमा करना होगा। 2. विश्वविद्यालय में आब्जरवरशिप हेतु अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र/प्रार्थनापत्र सम्बन्धित कालेज (जहाँ विद्यार्थी अध्ययनरत रहा हो) के प्रधानाचार्य/संकायाध्यक्ष/सक्षम स्तर से स्पष्ट संस्तुति के साथ विश्वविद्यालय हेतु अग्रसारित होने चाहिए। 3. अभ्यर्थियों के प्रार्थनापत्र सम्बन्धित संकायाध्यक्ष कार्यालय में प्राप्त किये जायेंगे। 4. यदि अभ्यर्थी किसी विशिष्ट संकाय सदस्य के अधीन आब्जरवरशिप करना चाहता है, तो सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा इस हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी।	हॉस्पिटल बोर्ड के निर्णय के कम में संकायाध्यक्ष, चिकित्सा संकाय/अध्यक्ष समिति द्वारा अपने पत्र संख्या 236/यूपीयूएमएस/संकायाध्यक्ष चि.सं.–88/ 2026–27 दिनांक 13.08.2026 को समिति सदस्यों की बैठक दिनांक 14.08.2026 आयोजित की गयी। समिति की रिपार्ट के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

	5. बिन्दु संख्या– 6. Interested candidates must submit their Curriculum Vitae (CV), application in the prescribed format, and photocopies of relevant certificates/testimonials for evaluation by the concerned HOD. 6. बिन्दु संख्या–7 (Applications will be processed on a first-come, first-served basis) को डिलिट करना है। आब्जरवरशिप हेतु सीटों की कोई लिमिट नहीं होगी। परन्तु यदि विभागाध्यक्ष चाहें तो उपयुक्त कारण बताते हुए अब्जरवरशिप हेतु मना कर सकते हैं। 7. बिन्दु संख्या–8 All correspondence should be addressed to the concerned Dean through HOD. 8. विश्वविद्यालय में संचालित सभी विभागों के साथ–साथ एम0आर0डी0 / लाईब्रेरी इत्यादि स्थानों में भी आब्जरवरशिप करायी जा सकती है। 9. प्रत्येक विभाग अपनी–अपनी एस0ओ0पी0 तैयार करेगा तथा अभ्यर्थियों के अवलोकनार्थ विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करेगा। कुलसचिव कार्यालय के आदेश संख्या 1094 / यूपीयूएमएस / कुल0कार्या0 (3041–सीडी) / 2026–27 दिनांक 08.06.2026 द्वारा गठित समिति द्वारा तैयार की गयी एस0ओ0पी0 में उसी समिति द्वारा उपरोक्तानुसार संशोधन / समावेश (Inclusion) करते हुए संशोधित एस0ओ0पी0 पर सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त लागू करना सुनिश्चित किया जायेगा।	
3.13	**उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय आयुर्विज्ञान संस्थान (UPUMS), सैफई में Enhanced Hospital Information Management System (HIMS) Framework के विकास एवं Programme Implementation Agency (PIA) के चयन हेतु प्रस्तावित निविदा प्रक्रिया के संबंध में।** **<u>हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय</u>:** – हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा इस एजेण्डा बिन्दु एवं प्रस्ताव को नोट किया गया तथा आगामी कार्य परिषद में नवीन एजेण्डा के रूप में प्रस्तुत किये जाने की संस्तुति की गयी।	कार्यान्वित (Implemented) (हास्पिटल बोर्ड के निर्णय के कम में कार्यपरिषद की 16वीं बैठक के एजेण्डा बिंदु 16.28 पर प्रस्तुत किया गया)
3.14	**विश्वविद्यालय में डायलिसिस हेतु पी0पी0पी0 माडल के आधार पर डायलिसिस सेवा प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में।** **<u>हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय</u>:** – हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय में डायलिसिस हेतु पी0पी0पी0 माडल के आधार पर डायलिसिस सेवा प्रारम्भ करने हेतु एस0ओ0पी0 तैयार कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के लिए चिकित्सा अधीक्षक को सैद्धान्तिक रूप से नामित किये जाने पर सहमति दी गयी। साथ ही निर्देशित किया गया कि एस0ओ0पी0 तैयार कर आगामी हॉस्पिटल बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत किया जाये तदोपरान्त हॉस्पिटल बोर्ड के निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही की जाये।	विश्वविद्यालय में डायलिसिस हेतु पी0पी0पी0 माडल के आधार पर डायलिसिस सेवा प्रारम्भ करने हेतु कय प्रकिया प्रचलन में है।

हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णयः – हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा हॉस्पिटल बोर्ड की तृतीय बैठक में लिए गये निर्णयों के कम में प्रस्तुत अनुपालन आख्या पर अनुमोदन प्रदान करते हुए बिन्दु संख्या 3.2–(1.8), 3.2–(1.10), 3.2–(1.12), 3.2–(2.3), 3.8 एवं 3.12 में निम्नानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया –

बिन्दु–3.2–(1.8) :– मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाए। समिति में उप–चिकित्सा अधीक्षक(आई.पी.डी.), मुख्य नर्सिंग अधिकारी, नर्सिंग अधीक्षिका, प्रशासनिक अधिकारी (नर्सिंग अधिष्ठान) एवं यूनिवर्सिटी एम्पलाई एसोसिएशन व नर्सिंग एसोसिएशन से एक–एक नामित प्रतिनिधि समिति सदस्य होंगे। समिति एम्स नई दिल्ली की एस0ओ0पी0 को आधार मानते हुए उसको पी0जी0आई / के0जी0एम0यू0 में लागू एस0ओ0पी0 से कम्पेयर करते हुए एस0ओ0पी0 का ड्राफ्ट तैयार करेगी। ड्राफ्ट एस0ओ0पी0 को नर्सिंग संवर्ग के समस्त कार्मिकों के अवलोकनार्थ प्रदर्शित करते हुए 07 दिवसों के अन्दर आपत्तियॉं मांगी जायें। तथा प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करते हुए एस0ओ0पी0 को सक्षम स्तर के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाये। अनुमोदित एस0ओ0पी0 को हॉस्पिटल बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

बिन्दु–3.2–(1.10):– मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि विश्वविद्यालय के समस्त गैर–शैक्षणिक कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु यूनीफार्म पॉलिसी तैयार करते हुए आगामी कार्य परिषद की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जायेगी।

बिन्दु–3.2–(1.12):– एम0आर0डी0 विभाग द्वारा अपने पत्रांक 488 / एमआरडी / यूपीयूएमएस / 26–27 दिनांक 16 जुलाई, 2026 के माध्यम से निष्प्रयोज्यनीय सामग्री के निष्पादन (Condemnation) हेतु प्रकरण अध्यक्ष, निष्प्रयोज्य समिति (मेडिकल एवं ऑफिस रिकार्ड) के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उक्त समिति द्वारा संस्तुति किये जाने के उपरान्त सामग्री के तत्काल निष्पादन हेतु प्रकरण को सदस्य सचिव, मुख्य कण्डम समिति के माध्यम से मुख्य कण्डम समिति के समक्ष प्रेषित किया जाये।

बिन्दु–33–(2.3):– हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि सी0टी0 स्कैन में कार्यरत 11 रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन में से 03 टेक्नीशियन को यूरोलाजी, न्यूरो सर्जरी एवं आर्थो ओ0टी0 में सी0आर्म मशीन के संचालन हेतु जनरल ड्यूटी पर तत्काल तैनात किया जाये।

बिन्दु–3.8:– प्रस्तुत अनुपालन आख्या से अवगत होते हुए हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि वित्त समिति के निर्णय के अनुसार विश्वविद्यालय के ब्लड बैंक में ब्लड डोनर्स की आई0डी0 नेट (individual donor nucleic acid testing) जॉच हेतु आपूर्ति की गयी मशीन के संचालन हेतु एन0एच0एम0से कंज्यूमेबल हेतु cost per valid test के आधार पर धनराशि प्राप्त न होने पर धनराशि रू. 190.00 लाख के आवश्यक कंज्यूमेबल के क्रय पर होने वाले व्यय का वहन विश्वविद्यालय की आय / बचत से किया जायेगा। एन0एच0एम0 से उक्त मद में धनराशि प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित अधिकारी के द्वारा एन0एच0एम0 कार्यालय लखनऊ में व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क स्थापित करते हुए कार्यवाही की जायेगी। एन0एच0एम0 से उक्त धनराशि प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित धनराशि का समायोजन / प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी।

बिन्दु–3.12:– हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि ऑब्जरवरशिप एस0ओ0पी0 पर समस्त संकायाध्यक्षों की सहमति प्राप्त करते हुए सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त कार्यवाही की जाये।

एजेण्डा बिन्दु 4.3 **हॉस्पिटल परिसर की समस्त ओ0टी0, आई0सी0यू0 तथा अन्य वार्डों इत्यादि में डिसइन्फेक्टेंट सर्विसेज प्रदान करने के संबंध में फर्म M/s Zuverlasse Hygeine India, Pvt, Ltd. Hyderabad, Telangana के साथ संपादित दर–अनुबंध को अवलोकनार्थ, दर–अनुबंध में दिए गए स्कोप ऑफ वर्क की मॉनिटरिंग एवं नवीन आई0सी0यू0 को स्कोप ऑफ वर्क में शामिल करने हेतु।**	**प्रस्तावना:**– हॉस्पिटल परिसर की समस्त ओ0टी0, आई0सी0यू0 तथा अन्य वार्डों इत्यादि में डिसइन्फेक्टेंट सर्विसेज प्रदान करने के संबंध में फर्म M/s Zuverlasse Hygeine India, Pvt, Ltd. Hyderabad, Telangana के साथ दिनांक 10.07.2026 को संपादित अनुबंध के अनुसार विभिन्न विभागों में प्रदान की जा जा रही डिसइन्फेक्टेंट सर्विसेज की मानीटरिंग एवं चिकित्सालय परिसर में स्थापित नये आई0सी0यू0 को अनुबन्ध में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत स्कोप ऑफ वर्क में सम्मिलित करने हेतु। **नियम / कार्ययोजना / कार्यवाही** :– विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित ई–निविदा के कम में M/s Zuverlasse Hygeine India, Pvt, Ltd. Hyderabad, Telangana के साथ दिनांक 10.07.2026 को एक वर्ष (दिनांक 09.07.2027) हेतु दर अनुबंध किया गया है (क्रय प्रभारी, सर्जिकल द्वारा फर्म को प्रेषित पत्र संख्या 274/UPUMS/MM-Disinfectant/CD-3131/26-27 दिनांक 10.07.2026), जिसकी छायाप्रति अवलोकनार्थ संलग्न है। फर्म द्वारा स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार समस्त ओ0टी0, आई0सी0यू0 तथा अन्य वार्ड में प्रदान की जा रही डिसइन्फेक्टेंट सर्विसेज की मॉनीटरिंग की आवश्यकता है।

उक्त के अतिरिक्त दर अनुबंध में अंकित क्लाज (विश्वविद्यालय द्वारा भविष्य में आवश्यक्तानुसार संबंधित एरिया को घटाया और बढ़ाया जा सकता है) के अंतर्गत चिकित्सालय के इन्फेक्सियस डिसिज कन्ट्रोल हॉस्पिटल (IDCH) में मरीज हित में प्रारम्भ किये गये DRTB-ICU, आब्स एण्ड गायनी विभाग के अन्तर्गत प्रारम्भ किये गये MCCU (Maternity Critical Care Unit) एवं DRTB-Ward में प्रतिदिन डिसइन्फेक्टेंट कार्य करवाने को स्कोप ऑफ वर्क में शामिल करने की आवश्यकता है।

प्रस्ताव :–

- फर्म M/s Zuverlasse Hygeine India, Pvt, Ltd. Hyderabad, Telangana के साथ दिनांक 10.07.2026 को संपादित दर–अनुबंध हॉस्पिटल बोर्ड के अवलोनार्थ प्रस्तुत है।
- दर–अनुबंध में दिए गए स्कोप ऑफ वर्क की मॉनीटरिंग का कार्य संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष, ओ0टी0 इन्चार्ज / आई0सी0यू0 इन्चार्ज द्वारा प्रतिदिन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- DRTB-ICU, MCCU (Maternity Critical Care Unit) एवं DRTB-Ward में प्रतिदिन डिसइन्फेक्टेंट सर्विसेज प्रदान किये जाने हेतु को दर अनुबन्ध के स्कोफ आफ वर्क में सम्मिलित करने हेतु।

बोर्ड से अपेक्षित निर्णयः– हॉस्पिटल बोर्ड से अनुरोध है कि उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णयः – फर्म M/s Zuverlasse Hygeine India, Pvt, Ltd. Hyderabad, Telangana के साथ दिनांक 10.07.2026 को संपादित दर–अनुबंध से हॉस्पिटल बोर्ड अवगत हुआ तथा निर्देशित किया गया कि दर अनुबन्ध की शर्तों को दृष्टिगत रखते हुए चिकित्सालय में मरीज हित में डिसइन्फेक्टेंट से सम्बन्धित कार्यों को एच0आई0सी0सी0 के माध्यम से चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्णय लेते हुए कार्य को सम्पादित कराया जाये।

एजेण्डा बिन्दु 4.4
विश्वविद्यालय में संचालित मेसर्स पी0ओ0सी0टी0 सर्विसेज द्वारा विश्वविद्यालय में की जा रही विभिन्न जांचों तथा इनके लिए क्रय किये जा रहे आवश्यक Reagents/ Consumables (Under MOU) के संबंध में।

प्रस्तावनाः– विश्वविद्यालय में संचालित मेसर्स पी0ओ0सी0टी0 सर्विसेज द्वारा विश्वविद्यालय में की जा रही विभिन्न जांचों तथा इनके लिए क्रय किये जा रहे आवश्यक Reagents/ Consumables (Under MOU) के संबंध में दिनांक 16.07.2026 को सम्पन्न बैठक में विचार विमर्श उपरांत निम्नवत निर्णय लिया गया है–

M/s POCT Services Lucknow व विश्वविद्यालय के मध्य दिनांक 08.11.2019 को हुए MOU (for supply of reagents against the installation of maintenance free equipment at no cost basis for creation & establishment of 24 hour Central Lab in the Medical University campus) के अंतर्गत कुल 306 Reagents & Consumables with Calibrators and Controls थे। वर्तमान समय तक MOU में प्रगति के दृष्टिगत इसमें 680 विभिन्न Reagents/Consumables, Calibrators and Controls तथा कुल 199 Common General Diagnostic Items सम्मिलित किये गये हैं। वर्तमान समय तक MOU में कुल 1185 विभिन्न Reagents, Consumables, Calibrators/Controls तथा Common General Diagnostic items सम्मिलित हैं, जिन्हें हॉस्पिटल बोर्ड की बैठक में अनुमोदन प्राप्त करते हुए वित्त समिति के माध्यम से कार्य परिषद् की बैठक में कार्योत्तर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया किया जाना है। विवरण निम्नवत है–

S. No.	Supply Order / Letter No. under MOU	Particulars	No. of Reagent & Consumable incorporated under MOU
01	MOU Dated : 08/11/2019	MOU Done (With Reagents, Calibrators and Controls)	306

02	487/UPUMS/MM-d/24x7 Lab(1036)22-23 Dated 11-10-2022	Selectra Machine upgrade wit BA 400 (Bio-system) Biochemistry department (Update)	-
03	367/E/UPUMS/MM-D/24x7 Lab(804-CD)/23-24 dt: 13.05.2023	Inclusion of Reagents, Calibrators and control for new test parameters (Biochemistry department)	14
04	1533/E/UPUMS/MM-D/24x7 Lab(299-CD)/23-24 dt: 10.07.2023	Consumables of Biomerieux Vitek 2 System (Microbiology department)	18
05	233/UPUMS/MM-D/24x7 Lab(804-CD)25-26 Dated 13-07-2024	Consumable of Cardiac Marker	03
06	2728/E/UPUMS/MM-D/24x7 Lab(804-CD)/23-24 dt: 27.10.2023	Addition of reagent (PCT), control and calibrator for new test parameter	03
07	376/UPUMS/MM-D/24x7 Bio Chem(63-CD)/24-25 dt: 17.09.2024	Reagents and consumables for New Born Screening System	24
08	734/UPUMS/MM-D/24x7 Micro/2018 CD/24-25 dt. 01.01.2025	Reagents for Automated Microbial Detection System (Microbiology Department)	03
09	918/UPUMS/MM-D/24x7 Path.(1180) CD/24-25 dt. 10.03.2025	Reagents & Consumables for 9 Part Haematology Analyser	12
10	124/UPUMS/MM-D/24x7 Lab(RM-CD)/25-26 Dated 10-05-2025	Inclusion of reagent, Controls and calibrators for new test parameters (BA 400 Bio-system) Test Add-on + Immunoassay Control)	15
11	527/UPUMS/MM-D/24x7 Path(2390-CD)/25-26 Dated 25-10-2025	Reagent & Consumables for HPLC Analyzer (Pathology Equipment)	02
12	565/UPUMS/MM-D/24x7 Micro/2444-CD/25-26 Dated 19-11-2025	Urine Analyzer Updates	06
13	575/UPUMS/MM-D/24x7 Lab(2443-CD)/25-26 Dated 19-11-2025	Blood Collection Consumables	18
14	576/UPUMS/MM-D/24x7 Mol.Lab(2503-CD)/25-26 Dated 19-11-2025	RT PCR & ELISA Kit And Accessories	35
15	617/UPUMS/MM-D/24x7 Biochem(2552-CD)/25-26 Dated 13-12-2025	Consumables for Dry Chemistry Analyzer	333
16	674/UPUMS/MM-D/24x7 Path(2633-CD)/25-26 Dated 23-12-2025	Consumables of Immuno - Histochemistry Analyzer (Pathology Equipment)	132
17	676/UPUMS/MM-D/24x7 Cent. Lab (804-CD)/25-26 Dated 23-12-2025	Incorporation of Test Cards (Microbiology Department)	7
18	679/UPUMS/MM-D/24x7 Cent.Lab(2616-CD)/25-26 Dated 30-12-2025	Reagent And Consumable of Fully Automated Coagulation Analyzer (Rare Parameters) Pathology Items	15
19	695/UPUMS/MM-D/24x7 Cent.Lab(2615-CD)/25-26 Dated 05-01-2026	General Items - Microbiology Department	160
20	680/UPUMS/MM-D/24x7 BB-NAT(2442-CD)/25-26 Dated 05-01-2026	Individual Donor Nucleic Acid (NAT) Test	03
21	767/UPUMS/MM-D/24x7 MD(63-CD)/25-26 Dated 27-01-2026	NBS Multiparameter Controls	03
22	945/UPUMS/MM-D/24x7 Cent.Lab(804-CD)/25-26 Dated 30-03-2026	Incorporation of reagents for Biochemistry department- Add-on	13
23	914/UPUMS/MM-D/24x7 Cent.Lab(2899-CD)/25-26 Dated 30-03-2026	Consumables under Pathology on Wheels	21
24	286/UPUMS/MM-D/24x7 Cent.Lab(2246-CD)/26-27 Dated 17-07-2026	General Item	39
Total Incorporated Reagent, Calibrator, Control and General Items			**879**
Total Reagents, Calibrators, Controls and General Items available in MOU			**1185**

प्रस्ताव :— उक्त के दृष्टिगत बैठक दिनांक 16.07.2026 में लिए गये निर्णय के कम में उपरोक्त बिन्दुओं पर हॉस्पिटल बोर्ड की बैठक में अनुमोदन प्राप्त करते हुए वित्त समिति के माध्यम से कार्य परिषद

	की बैठक में कार्योत्तर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। **बोर्ड से अपेक्षित निर्णयः**— हॉस्पिटल बोर्ड से अनुरोध है कि उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णयः — हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि जॉचों से सम्बन्धित रीजेन्ट्स एवं कन्ज्यूमेबल्स की सूची के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जॉच हेतु रीजेन्ट्स/कन्ज्यूमेबल्स की आवश्यकता होती है। अतः विश्वविद्यालय में वर्तमान में की जा रही जॉचों की विस्तृत सूची नोडल अधिकारी, एच.आई.एम.एस. के माध्यम से प्राप्त की जाये तथा प्राप्त विवरण को आगामी हॉस्पिटल बोर्ड की बैठक में अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाये।

एजेण्डा बिन्दु 4.5 **भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास विभाग में इन–हाउस प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स कार्यशाला की स्थापना हेतु प्रस्ताव।**	**प्रस्तावनाः** — भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास पी0एम0आर0 विभाग में प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स कार्यशाला की स्थापना का यह प्रस्ताव विभाग में उपचाराधीन दिव्यांग एवं कार्यात्मक अक्षमता से ग्रसित रोगियों को समग्र, समयबद्ध एवं किफायती पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया जा रहा है। विभाग में आने वाले अंग–विच्छेदन, स्ट्रोक, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, सेरेब्रल पाल्सी, पोस्ट–पोलियो तथा मस्कुलोस्केलेटल विकृतियों से पीड़ित रोगियों को प्रोस्थेटिक एवं ऑर्थोटिक उपकरणों की नियमित आवश्यकता होती है। वर्तमान में इन सेवाओं के लिए उच्च संस्थानों पर निर्भरता के कारण उपचार में अनावश्यक विलंब, अधिक व्यय तथा पुनर्वास उपचार के साथ समुचित समन्वय का अभाव देखा जाता है। विभाग में इन–हाउस कार्यशाला की स्थापना से उपकरणों का निर्माण, फिटिंग एवं संशोधन चिकित्सकीय आवश्यकता के अनुरूप एवं समय पर संभव हो सकेगा, जिससे रोगियों की कार्यात्मक क्षमता, स्वतंत्रता तथा जीवन गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा। यह प्रस्ताव बहुविषयक पुनर्वास मॉडल को सुदृढ़ करने, आर्थिक रूप से कमजोर रोगियों को किफायती सेवाएँ प्रदान करने, तथा शिक्षण, प्रशिक्षण एवं शोध गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रस्तावित कार्यशाला राष्ट्रीय दिव्यांगजन नीतियों एवं अधिकार अधिनियम के अनुरूप है और संस्थान को एक समग्र पुनर्वास केंद्र के रूप में विकसित करने में सहायक होगी। **पृष्ठभूमिः**— भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास पी0एम0आर0 विभाग न्यूरोलॉजिकल, मस्कुलोस्केलेटल तथा कार्यात्मक अक्षमताओं से ग्रसित रोगियों को समग्र पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करता है। इन रोगियों के एक बड़े वर्ग को कार्यात्मक पुनर्वास हेतु प्रोस्थेटिक एवं ऑर्थोटिक उपकरणों की आवश्यकता होती है। वर्तमान में P&O सेवाओं के लिए उच्च संस्थानों पर निर्भरता के कारण अनावश्यक विलंब, सीमित अनुकूल, अधिक लागत तथा पुनर्वास उपचार के साथ अपर्याप्त समन्वय की समस्या उत्पन्न होती है। पी0एम0आर0 विभाग में एक इन–हाउस P&O कार्यशाला की स्थापना से प्रोस्थेटिक एवं ऑर्थोटिक उपकरणों का समयबद्ध निर्माण, फिटिंग एवं संशोधन संभव होगा, जिससे रोगी–केंद्रित, किफायती एवं परिणामोन्मुख पुनर्वास सेवाएँ सुनिश्चित की जा सकेंगी। **कृत कार्यवाही/निष्कर्ष/निर्णयः** — उपरोक्त के संदर्भ में पी0एम0आर0 विभाग द्वारा निम्न बिंदुओं पर विचार किया गया— 1. विभाग में उपलब्ध स्थान एवं संसाधनों का आकलन किया गया। 2. आवश्यक उपकरणों, मशीनरी एवं प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता का निर्धारण किया गया। 3. कार्यशाला की स्थापना हेतु अनुमानित व्यय का प्रारूप तैयार किया गया। 4. अन्य संस्थानों में संचालित समान कार्यशालाओं का अध्ययन कर

	व्यवहार्यता का परीक्षण किया गया। 5. पी0एम0आर0 विभाग द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि PMR विभाग में इन–हाउस P&O कार्यशाला की स्थापना व्यावहारिक, आवश्यक एवं लाभकारी है। **प्रस्तावः** – 1. प्रोस्थेटिक्स एवं आर्थोटिक्स वर्कशाप प्रारंभ करने हेतु आवेदन प्रस्ताव प्रेषित की अनुमति प्रदान करना चाहे। 2. वर्कशाप प्रारंभ करने हेतु मानव संसाधन एवं इंफ्रास्ट्रकचर की आवश्यकता होगी। 3. इस प्रस्ताव से संबधित वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रकियाएँ प्रारंभ करने हेतु सहमति प्रदान करना चाहें। **बोर्ड से अपेक्षित निर्णयः**– हॉस्पिटल बोर्ड से अनुरोध है कि उक्त प्रस्ताव पर प्रशासनिक एवं सैद्धन्तिक अनुमोदन प्रदान करना चाहें।
हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णयः – हॉस्पिटल द्वारा भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास विभाग में इन–हाउस प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स कार्यशाला की स्थापना हेतु सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए विभागाध्यक्ष को निर्देशित किया गया कि एस0जी0पी0जी0आई0 / आर0एम0एल0 / के0जी0एम0यू0 में उक्त संवर्ग से सम्बन्धित पदों का विवरण प्राप्त करते हुए पदों के सृजन हेतु स्पष्ट प्रस्ताव विश्वविद्यालय प्रशासन के माध्यम से शासन को प्रस्तुत किया जाये।	
एजेण्डा बिन्दु 4.6 **चिकित्सालय की सुरक्षा, मानवशक्ति, मरीज सुविधाओं, आवश्यक अनुरक्षण एंव कार्मिक प्रबन्धन व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने के सम्बन्ध में।**	**प्रस्तावनाः** – चिकित्सालय में मरीजों को गुणवत्तापूर्ण एवं निर्बाध चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने तथा चिकित्सालय की व्यवस्थाओं को अधिक प्रभावी बनाने हेतु सुरक्षा, मानवशक्ति, तकनीकी सुविधाओं, आवश्यक सेवाओं एवं कार्मिक प्रबंधन से सम्बन्धित व्यवस्थाओं का सुदृढ़ीकरण आवश्यक है। **कृत कार्यवाही / निष्कर्ष / निर्णयः** – उपरोक्त व्यवस्थाएं मरीजों की सुरक्षा, सुविधा एवं चिकित्सालय सेवाओं की निरंतरता से सीधे संबंधित हैं। अतः उपलब्ध संसाधनों एवं वर्तमान आवश्यकता का परीक्षण कर आवश्यक मानवशक्ति, सुरक्षा एवं तकनीकी सुविधाओं की व्यवस्था तथा संबंधित कार्यों हेतु उत्तरदायित्व किया जाना आवश्यक है। **प्रस्तावः** – हॉस्पिटल बोर्ड के समक्ष प्रस्तावित है कि– 1. मरीज की सुरक्षा, स्टाफ की सुरक्षा एवं मरीज की तीमारदार (अनावश्यक) संख्या, चिकित्सालय की सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु सुरक्षा गार्ड की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। 2. चिकित्सालय के विभिन्न वार्डों / विभागों में MTS/Ward Boy की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। 3. सभी वार्डों के उपयुक्त एवं गैर–गोपनीय स्थानों पर CCTV कैमरों की आवश्यकता है। 4. चिकित्सा में 24x7 निर्बाध Civil अनुरक्षण व्यवस्था की आवश्यकता है। 5. OPD Registration Counter पर Token System/ Number Visualization System की आवश्यकता है। 6. लॉड्री सेवा गुणवत्ता एवं सुधार की आवश्यकता है। **बोर्ड से अपेक्षित निर्णयः**– हॉस्पिटल बोर्ड से अनुरोध है कि उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में निर्णय लेना चाहें।
हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णयः – वर्तमान में सुरक्षा व्यवस्था, मैनपावर, सी0सी0टी0वी0, इत्यादि हेतु कार्य प्रगति पर है। इसलिए हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा इस एजेण्डा को ड्राप किये जाने का निर्णय लिया गया।	
एजेण्डा बिन्दु 4.7 **विश्वविद्यालय परिसर में एक अतिरिक्त प्रधानमंत्री भारतीय जन–औषधि केंद्र (PMBJAK) की स्थापना हेतु।**	**प्रस्तावनाः** विश्वविद्यालय परिसर में मरीजों और आस–पास के स्थानीय नागरिकों को सस्ती, उच्च गुणवत्ता वाली सस्ती जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने हेतु विश्वविद्यालय में ट्रामा सेन्टर के पास जन औषधि केन्द्र संचालित है तथा सुपस्पेशियालिटी परिसर में भी उक्त सुविधा मरीजों को प्रदान करने हेतु एक अतिरिक्त जन औषधि केंद्र

	की स्थापना पर विचार किया जाना प्रस्तावित है। उक्त हेतु 500 बेडेड सुपरस्पेशलिटी चिकित्सालय के क्रिटिकल केयर ब्लाक एवं रेडियोथिरेपी ब्लाक के मध्य खाली स्थान को जन औषधि केंद्र स्थापित कराने हेतु चयनित किया जा सकता है। **प्रस्तावः** – 500 बेडेड सुपरस्पेशलिटी चिकित्सालय के क्रिटिकल केयर ब्लाक एवं रेडियोथिरेपी ब्लाक के मध्य खाली स्थान पर मरीजों के हित में एक अतिरिक्त जन औषधि केंद्र की स्थापना हेतु नियमानुसार प्रशासनिक एवं सैद्धान्तिक अनुमति। **बोर्ड से अपेक्षित निर्णयः**– हॉस्पिटल बोर्ड से अनुरोध है कि उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।
हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णयः – 500 बेड सुपरस्पेशियालिटी चिकित्सालय के पूर्णरूप से प्रारम्भ होने पर सुपरस्पेशियालिटी चिकित्सालय के क्रिटिकल केयर ब्लाक एवं रेडियोथिरेपी ब्लाक के मध्य खाली स्थान पर मरीजों के हित में एक अतिरिक्त जन औषधि केंद्र की स्थापना हेतु हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान की गयी।	
एजेण्डा बिन्दु 4.8 **उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में इन–हाउस नहीं की जा रही जांचों के रेफरल परीक्षण को वाह्य एजेन्सी के माध्यम से कराए जाने हेतु M/s POCT Services के साथ संपादित MoU दिनांक 08.11.2019 के तहत प्रदान की जा रही सेवाओं के दायरे में विस्तार करने हेतु।**	**प्रस्तावना** : चिकित्सालय में उपचाररत मरीजों को बेहतर एवं निर्बाध स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के दृष्टिगत ऐसे समस्त क्लीनिकल, पैथोलॉजिकल टेस्ट/जांचें, जिनकी सुविधा वर्तमान में विश्वविद्यालय की केंद्रीय प्रयोगशाला (Central Lab) या विभागीय प्रयोगशालाओं में उपलब्ध नहीं है, मरीजों की आवश्यक्तानुसार विश्वविद्यालय में कार्य कर रही एजेंसी M/s POCT Services के माध्यम से बाह्य स्रोत (Outsource) द्वारा कराए जाने पर विचार करने हेतु। **नियम/कृत कार्यवाही/निष्कर्ष/निर्णयः** – इस व्यवस्था को पारदर्शी एवं सुचारू रूप से संचालित करने हेतु संबंधित विभाग के संकाय सदस्य/चिकित्सक केवल उन्हीं जांचों को बाह्य स्रोत के माध्यम से कराए जाने के लिए रेफर करेंगे, जो मरीज के उपचार हेतु अत्यंत आवश्यक हैं और जिनकी इन–हाउस (In–house) सुविधा विश्वविद्यालय में उपलब्ध नहीं है। सैंपल कलेक्शन हेतु M/s POCT Services के प्रतिनिधि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित कलेक्शन सेंटर पर उपस्थित रहेंगे। संबंधित वार्ड/ओ.पी.डी. से सैंपल एकत्रित करने तथा उसे सुरक्षित रूप से वाह्य अधिकृत लैब तक पहुंचाने की पूर्ण जिम्मेदारी एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधी की होगी। • **दरें एवं भुगतान (Rates – Billing):** समस्त रेफर जांचों की दरें के.जी.एम.यू./आर.एम.एल./एस.जी.पी.जी.आई.एम.एस. में उपलब्ध दरों में से न्यूनतम दर अथवा सी0जी0एच0एस0 में उपलब्ध दरों के आधार पर तय की जाएगी। • **रिपोर्टिंग समय (Turnaround Time – TAT):** एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि आपातकालीन जांचों (Emergency Tests) की रिपोर्ट न्यूनतम संभव समय में तथा सामान्य जांचों की रिपोर्ट अनुबंध में तय समय–सीमा के भीतर ऑनलाइन/हार्डकॉपी के माध्यम से उपलब्ध कराई जाए। • **गुणवत्ता नियंत्रण (Quality Control):** बाह्य स्रोत से प्राप्त होने वाली रिपोर्ट की सटीकता और गुणवत्ता के लिए M/s POCT Services पूर्णतः उत्तरदायी होगी। किसी भी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा इसकी रिपोर्ट तुरंत चिकित्सा अधीक्षक को प्रेषित की जाएगी। **प्रस्तावः**– समस्त क्लीनिकल विभाग के द्वारा ऐसे रेफर टेस्ट जो इन–हाउस उपलब्ध नहीं है एवं संबंधित विभाग के द्वारा नहीं किए जा रहे हैं मरीजों की आवश्यकता एवं हित को देखते हुए उक्तानुसार उपलब्ध न्यूनतम दर पर M/s POCT Services के माध्यम से वाह्य एजेन्सी से करवाए जाने के संबंध में अनुमति प्रदान करने

	हेतु। **बोर्ड से अपेक्षित निर्णयः**— हॉस्पिटल बोर्ड से अनुरोध है कि उक्त प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णयः — हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी। हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि रेफर टेस्ट जो इन–हाउस उपलब्ध नहीं है एवं मरीज हित में आवश्यक हैं, के सम्बन्ध में M/s POCT Services द्वारा उक्त टेस्ट हेतु NABL Accredited लैबों की दर सूची उपलब्ध कराई जाएगी तथा विश्वविद्यालय द्वारा एल–1 रेट वाली लैब से उक्त जॉच को निर्धारित समयावधि में करवाने एवं मरीज को रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु M/s POCT Services से अनुबंध किया जायेगा।

एजेण्डा बिन्दु 4.9 **चिकित्सालय के समस्त महिला प्रसाधनों (Washrooms) में सैनिटरी नैपकिन डिस्पेंसर एवं इलेक्ट्रानिक इंसिनरेटर स्थापित करने हेतु।**	**प्रस्तावना** :— चिकित्सालय में आने वाली महिला मरीजों, उनके तीमारदारों (Attendant), महिला डॉक्टरों, नर्सों और अन्य महिला कर्मचारियों की स्वास्थ्य सुरक्षा एवं स्वच्छता (Menstrual Hygiene) को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सभी वॉशरुम में सैनिटरी नैपकिन डिस्पेंसर और उनके सुरक्षित निस्तारण हेतु उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु। **पृष्ठभूमि** :— एक उत्तरदायी चिकित्सा संस्थान होने के नाते, अस्पताल परिसर में स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण के उच्चतम मानकों को बनाए रखना अनिवार्य है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और बायो–मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के नियमों के तहत स्वच्छ प्रसाधन बुनियादी अधिकार हैं। महिला मरीजों और उनके तीमारदारों को अक्सर आपातकालीन स्थितियों में अस्पताल आना पड़ता है, जहां सैनिटरी उत्पादों की तत्काल उपलब्धता न होने से उन्हें अत्यधिक मानसिक और शारीरिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उक्त के अतिरिक्त प्रयुक्त नैपकिन्स का असुरक्षित तरीके से निपटान संक्रमण और नालियों के अवरुद्ध होने का मुख्य कारण बनता है। इसके लिए आधुनिक डिस्पेंसर के साथ–साथ पर्यावरण–अनुकूल निस्तारण प्रणालियों (जैसे इंसिनरेटर) की आवश्यकता है। अतः चिकित्सालय के ओपीडी (OPD), आईपीडी (IPD), आपातकालीन वार्ड, प्रशासनिक ब्लॉक और स्टाफ लॉउंज इत्यादि स्थानों में सैनिटरी नैपकिन डिस्पेंसर की स्थापना की आवश्यक्ता है। **प्रस्ताव** :— चिकित्सालय के सभी महिला प्रसाधनों को चिन्हित करते हुए सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनें और इलेक्ट्रॉनिक इंसिनरेटर स्थापित करने हेतु सैद्धांतिक और प्रशासनिक स्वीकृति। **बोर्ड से अपेक्षित निर्णयः**— हॉस्पिटल बोर्ड से अनुरोध है कि उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णयः — हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर सैद्धांतिक और प्रशासनिक सहमति प्रदान की गयी। साथ ही निम्नलिखित निर्देश दिये गये–

1. जेम पोर्टल के माध्यम से उक्त मशीन को तत्काल कय किया जाये।
2. प्रथम चरण में चिकित्सालय के समस्त महिला प्रसाधनों के साथ–साथ विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित महिला छात्रावासों के महिला प्रसाधनों में प्रत्येक तल पर एक सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन और इलेक्ट्रॉनिक इंसिनरेटर स्थापित की जाये।
3. महिला प्रसाधनों में इलेक्ट्रानिक इंसिनरेटर ऐसे स्थान पर लगाये जायें, जहॉ एक्जास्ट फैन उपलब्ध हो।
4. सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन को अमृत फार्मेसी के माध्यम से रिफिल करवाने हेतु पालिसी का निर्धारण किया जाये।

एजेण्डा बिन्दु 4.10 **चिकित्सालय के वार्डो एवं सी.एम. एस.डी. स्टोर में विभिन्न सरकारी योजनाओं/कार्यकमों के अन्तर्गत उपचाररत मरीजों एवं सामान्य मरीजों की दवाओं एवं सर्जिकल**	**प्रस्तावाना एवं पृष्ठभूमि** :— चिकित्सालय में विभिन्न जनकल्याणकारी स्वास्थ्य योजनाओं/कार्यकमों के तहत बड़ी संख्या में मरीज भर्ती होते हैं, जिनमें बड़ी मात्रा में औषधियों और सर्जिकल उपभोग्य सामग्रियों का उपयोग होता है। वर्तमान ऑडिट और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देखते हुए यह आवश्यक पाया गया है कि दवाओं के उपभोग का लोक–दस्तावेजीकरण अधिक पारदर्शी हो। सामान्य श्रेणी

कंज्यूमेबल सामग्री के रख–रखाव, उपभोग और अभिलेखों को रिकार्ड में प्रतिदिन दर्ज करने हेतु।	के मरीजों और योजना के लाभार्थियों के विवरणों में स्पष्ट अंतर न होने से प्रशासनिक और वित्तीय ऑडिट के समय विसंगतियां उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। अतः चिकित्सालय की कार्यप्रणाली को अधिक जवाबदेह और कुशल बनाने के लिए वार्डों और सी.एम.एस.डी. स्टोर के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु समस्त सहायक नर्सिंग अधीक्षक, वार्ड प्रभारियों (इंचार्ज), नर्सिंग ऑफिसर्स और सी.एम.एस.डी. स्टोर में कार्यरत पटल सहायकों के उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना आवश्यक है। **<u>नियम / कार्य योजना / कार्यवाही</u>** :– चिकित्सालय के वार्डों एवं सी.एम.एस.डी. स्टोर में दवाओं एवं सर्जिकल कंज्यूमेबल सामग्री के रख–रखाव, उपभोग और अभिलेखों को रिकार्ड में प्रतिदिन दर्ज करने हेतु निम्नलिखित कार्यवाही पर चर्चा प्रस्तावित है :– **<u>वार्ड स्तर पर उपभोग रजिस्टर (Consumption Register), स्टॉक रजिस्टर एवं इंडेण्ट बुक का रख–रखाव</u>**:– वार्ड इन्चार्ज के द्वारा वार्ड में भर्ती प्रत्येक मरीज का संपूर्ण विवरण– जैसे लाभान्वित योजना/कार्यक्रम का नाम, मरीज का नाम, सी.आर. (CR) व आई.पी.डी. (IPD) नंबर, संबंधित विभाग तथा चिकित्सा उपचार के दौरान वास्तव में उपयोग हुई दवाइयाँ/सर्जिकल कंज्यूमेबल सामग्री और उसकी सटीक मात्रा को 'उपभोग रजिस्टर' में अनिवार्य रूप से अंकित करते हुए प्रत्येक माह के अंत में उपभोग सूची तैयार करते हुए अगले माह के लिए सी.एम.एस.डी. स्टोर को इंडेंट भेजते हुए आवश्यक दवाइयाँ/सर्जिकल कंज्यूमेबल सामग्री की आपूर्ति प्राप्त की जाएगी। वार्ड प्रभारियों द्वारा सी.एम.एस.डी. स्टोर से प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की औषधियों और चिकित्सा सामग्रियों को प्राप्त करते ही अपने वार्ड के स्टॉक रजिस्टर में भी अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाएगा। **<u>मरीजों के विवरण का पृथककरण (Separation of Data)</u>**:– सी.एम.एस.डी. स्टोर एवं संबंधित वार्डों में सामान्य मरीजों तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से भर्ती मरीजों का पूरा विवरण व रिकॉर्ड पूरी तरह से पृथक–पृथक (अलग–अलग) रखते हुए स्पष्ट रूप से प्रतिदिन अंकित किया जाएगा। **<u>पटल सहायकों द्वारा विस्तृत अभिलेख रख–रखाव</u>:–** सी.एम.एस.डी. स्टोर में कार्यरत पटल सहायक द्वारा प्रत्येक मरीज के लाभान्वित योजना/कार्यक्रम का नाम, मरीज का नाम, सी.आर./आई.पी.डी. नंबर, विभाग का नाम, प्रदान की गई दवाइयाँ एवं सर्जिकल कंज्यूमेबल सामग्री की मात्रा, उसकी कीमत तथा आपूर्ति करने वाली फर्म आदि का पूरा विवरण अलग–अलग दर्ज कर अभिलेख को पूरी तरह सुरक्षित रखा जाएगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उक्त विवरण को संबंधित अधिकारियों या निरीक्षण टीम को तत्काल उपलब्ध कराया जा सके। **<u>प्रस्ताव</u>** :– हॉस्पिटल बोर्ड के निर्देशों के कम में प्रस्ताव को निम्नानुसर re-frame किया जा रहा है– 1. सरकारी योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत चिकित्सालय में भर्ती / उपचारंरत मरीज से सम्बन्धित Consumption, Demand, Supply एवं Records - individualy मरीज के नाम से तैयार किये जायेंगे। 2. सरकारी योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत चिकित्सालय में भर्ती / उपचाररत मरीजों हेतु प्रयोग किये जाने वाले कन्ज्यूमेबल, इम्प्लान्ट, दवाई एवं सर्जिकल ड्रेसिंग इत्यादि से सम्बन्धित विवरण को चिकित्सक से प्राप्त करते हुए वार्ड इन्चार्ज (ए0एन0एस0) द्वारा प्रत्येक मरीज के नाम से सी0एम0एस0डी0 से

	इन्डेन्ट किया जायेगा। 3. सी0एम0एस0डी0 द्वारा इन्डेन्ट के सापेक्ष निर्गत सामग्री को Consumption Register में प्रत्येक मरीज के नाम से (जिसमें मरीज का नाम, सी.आर./आई.पी.डी. नंबर, लाभान्वित योजना/कार्यक्रम का नाम, इन्डेन्ट की गई दवाइयाँ एवं सर्जिकल कंज्यूमेबल सामग्री की मात्रा, उसकी कीमत तथा आपूर्ति करने वाले फर्म का पूर्ण विवरण) अभिलेखों में दर्ज किया जायेगा एवं उक्तानुसार स्टाक रजिस्टर मेन्टेन किया जायेगा। 4. वार्ड इन्चार्ज के द्वारा इन्डेन्ट के सापेक्ष सी0एम0एस0डी0 से प्राप्त सामान को Consumption Register में प्रत्येक मरीज के नाम से (जिसमें मरीज का नाम, सी.आर./आई.पी.डी. नंबर, लाभान्वित योजना/कार्यक्रम का नाम, इन्डेन्ट की गई दवाइयाँ एवं सर्जिकल कंज्यूमेबल सामग्री की मात्रा) अभिलेखों में दर्ज किया जायेगा। 5. फर्म के बिलों का भुगतान/प्रतिपूर्ति Consumption Register/ स्टाक रजिस्टर के आधार पर की जायेगी। 6. वार्ड के Consumption Register को मेन्टेन करने हेतु सम्बन्धित वार्ड के रेजिडेन्ट के द्वारा वार्ड इंचार्ज (ए.एन.एस.) को सहयोग प्रदान किया जायेगा। **बोर्ड से अपेक्षित निर्णयः**– हॉस्पिटल बोर्ड से अनुरोध है कि उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।
हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णयः – हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा उक्तानुसार बिन्दु– 01 से 06 तक re-frame किये गये प्रस्तावों पर सहमति प्रदान की गयी।	
एजेण्डा बिन्दु 4.11 **हॉस्पिटल में औषधियों की अनुपलब्धता की परिस्थितियों में औषधियों, इम्प्लांट एवं सर्जिकल/ ड्रेसिंग कन्सयूमेबल को तत्काल क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।**	**प्रस्तावनाः** अस्पताल में समय–समय पर औषधियों, इम्प्लांट एवं सर्जिकल कन्स्यूमेबल की अनुपलब्धता एवं आकस्मिक परिस्थितियों में औषधियों, इम्प्लांट एवं सर्जिकल/ड्रेसिंग कन्स्यूमेबल को विश्वविद्यालय के अस्पताल परिसर में संचालित अमृत फॉर्मेसी से GFR 2017 amended upto 31 July 2024 के अंतर्गत/के0जी0एम0यू0/एस0जी0पी0जी0 आई0एम0एस0/एम्स में उपलब्ध व्यवस्था के अंतर्गत औषधियों, इम्प्लांट एवं सर्जिकल/ड्रेसिंग कन्स्यूमेबल को तत्काल क्रय किया जा सकता है। **पृष्ठभूमिः**– वर्तमान में अधिकांश औषधियों, इम्प्लांट एवं सर्जिकल/ड्रेसिंग कन्स्यूमेबल का क्रय विश्वविद्यालय में स्थापित दर अनुबन्ध के आधार पर किया जा रहा है किन्तु कभी–कभी ऐसी औषधि, इम्प्लांट एवं सर्जिकल/ड्रेसिंग कन्स्यूमेबल जिसकी दरें विश्वविद्यालय के दर अनुबन्ध में नहीं है या ऐसी औषधि, इम्प्लांट एवं सर्जिकल/ड्रेसिंग कन्स्यूमेबल जिसका दर अनुबन्ध के आधार पर आपूर्ति आदेश जारी किया जा चुका है किंतु आपूर्तिकर्ता फर्म के द्वारा आपूर्ति नहीं की गई है, आवश्यकता पड़ने पर मरीज हित में विश्वविद्यालय के अस्पताल परिसर में संचालित अमृत फॉर्मेसी से GFR 2017 amended upto 31 July 2024 के अंतर्गत/के0जी0एम0यू0/एस0जी0पी0 जी0आई0 एम0एस0/ एम्स में उपलब्ध व्यवस्था के अंतर्गत औषधियों, इम्प्लांट एवं सर्जिकल/ड्रेसिंग कन्स्यूमेबल को तत्काल क्रय किया जा सकता है। **प्रस्तावः** – आकस्मिक परिरिथितियों एवं अस्पताल में औषधियों, इम्प्लांट एवं सर्जिकल/ड्रेसिंग कन्स्यूमेबल की अनुपलब्धता की स्थिति में औषधियों, इम्प्लांट एवं सर्जिकल/ड्रेसिंग कन्स्यूमेबल का क्रय अमृत फार्मेसी से GFR 2017 and updated up to 31 July 2024 में दिए गए नियमों/के0जी0एम0यू0/एस0जी0पी0 जी0आई0 एम0एस0/ एम्स में उपलब्ध व्यवस्था के अंतर्गत किए जाने हेतु अनुमति। **बोर्ड से अपेक्षित निर्णयः**– हॉस्पिटल बोर्ड से अनुरोध है कि उक्त

	प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णयः – हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी तथा निर्देशित किया गया कि आकस्मिक परिस्थितियों में आवश्यक औषधियों, इम्प्लांट एवं सर्जिकल / ड्रेसिंग कंज्यूमेबल का क्रय विश्वविद्यालय के रेट कान्ट्रेक्ट के समतुल्य धनराशि अथवा उससे कम रेट पर किया जाये।

एजेण्डा बिन्दु 4.12 **विश्वविद्यालय के चिकित्सालय में संविदा पर रेडियोलॉजिस्ट (एम.डी. / डी.एन.बी. / डी.एम.आर.डी.) की नियुक्ति हेतु जारी विज्ञापन के कम में शुद्वि पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**	<u>प्रस्तावना</u> :– कार्यपरिषद की 15वी बैठक दिनांक 25.04.2026 के एजेण्डा बिंदु 15.11 में प्रस्तुत प्रस्ताव पर दिए गए निर्णय के कम में विश्वविद्यालय द्वारा संविदा पर रेडियोलॉजिस्ट (एम.डी. / डी.एन.बी. / डी.एम.आर.डी.) की नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 287 / यूपीयूएमएस / सीएमएस / 178 / 2026–27 दिनांक 15.07. 2026 प्रकाशित किया गया। जिसके सापेक्ष अबतक कोई भी रेडियोलॉजिस्ट साक्षात्कार हेतु उपस्थित नहीं हुआ है। उक्त विज्ञापन में टेली रिर्पोटिंग एवं अभ्यर्थियों द्वारा साक्षात्कार की प्रकिया में प्रतिभाग करने हेतु जमा किए जाने वाले शुल्क का उल्लेख नहीं था। इसलिए संविदा पर रेडियोलॉजिस्ट के चयन हेतु पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन को उक्त बिंदुओं (टेली रिर्पोटिंग एवं शुल्क) को समावेशित करते हुए निम्नवत संशोधित विज्ञापन तैयार किया गया है:– **<u>संविदा पर रेडियोलॉजिस्ट के चयन हेतु योग्यता एवं सेवा शर्तें (संशोधित विज्ञापन)</u>** पूर्व में जारी विज्ञापन संख्या 287/UPUMS/ CMS/178/2026-27 दिनांक 15.07.2026 द्वारा रेडियोलॉजिस्ट – संविदा की नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन में उल्लिखित "चयन हेतु योग्यता एवं सेवा शर्तों" को निम्नवत पढ़ा जाए :– 1. विश्वविद्यालय में रेडियोलॉजिस्ट की आवश्यकता को देखते हुए 'वॉक इन इंटरव्यू' (Walk-in-Interview) के माध्यम से रेडियोलॉजिस्ट की संविदा पर नियुक्ति की जायेगी। 2. <u>मासिक वेतन</u> – फुल टाइम प्रतिदिन 08 घंटे :– रेडियोलॉजिस्ट(संविदा) को रु1,20,000 / – का नियत मासिक वेतन देय होगा। उक्त वेतन के अतिरिक्त रेडियोलॉजिस्ट(संविदा) को चिकित्सालय आने–जाने हेतु Conveyance Incentive के रूप में रु1,000 / – धनराशि का प्रतिदिन भुगतान किया जाएगा। *अथवा* पार्ट टाइम प्रतिदिन 04 घंटे :– रु.5,000 / – (Inclusive of Conveyance Incentive) मात्र पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। *अथवा* **टेली रिपोर्टिंग :– एम.आर.आई. / सी0टी0 स्कैन जाँचों की टेली / रिमोट रिपोर्टिंग हेतु प्रति एम0आर0आई0 / सी0टी0 स्कैन रिपोर्ट रु300 एवं प्रति एक्सरे रिपोर्ट हेतु रु 50 / – की दर से भुगतान किया जाएगा।** 3. आकस्मिक परिस्थितियों जैसे लाइफ सेविंग एवं लिम्ब सेविंग की स्थिति में रेडियोलॉजिस्ट को बुलाए जाने पर प्रति विजिट / प्रति USG रु500 / – की धनराशि का भुगतान किया जाएगा। 4. संविदा के आधार पर रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति 06 माह के लिए की जायेगी, जोकि रेडियोलॉजिस्ट की संतोषजनक सेवाओं एवं मरीजों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त विस्तारित की जा सकेगी। 5. योग्यता : संविदा के आधार पर रेडियोलॉजिस्ट के चयन हेतु योग्यता का विवरण निम्नलिखित है: Essential Qualifications: • MD (Radio-Diagnosis) from a recognized university OR • DNB (Radio-Diagnosis) from a recognized board OR • DMRD (Diploma in Medical Radio-Diagnosis) from a

	recognized institution. Mandatory Certifications: Valid State Medical Council or National Medical Commission (NMC) registration is mandatory. 6. आवेदन शुल्क (**non-refundable**) :- अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु रु.1,000/- (रुपये एक हजार मात्र) तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु रु.500/- (रुपये पाँच सौ मात्र) का अप्रतिदेय (**non-refundable**) आवेदन शुल्क देय होगा। उक्त शुल्क **Finance Officer, UPUMS, Saifai, Etawah** के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से, जो सैफई (शाखा कोड-7281) पर देय (**Payable at Saifai**) हो, आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। प्रस्ताव : 1. चिकित्सालय में संविदा पर रेडियोलॉजिस्ट के चयन हेतु संशोधित विज्ञापन को प्रकाशित करने की अनुमति। 2. **चिकित्सालय में जब तक संविदा पर रेडियोलॉजिस्ट का चयन नहीं हो जाता है, तब तक विश्वविद्यालय में पीपीपी मॉडल पर संचालित फर्म से सी0टी0/ एक्स-रे/ एम0आर0आई0 हेतु टेली रिपोर्टिंग की सुविधा प्राप्त करने हेतु अनुमति।** **हॉस्पिटल बोर्ड से अपेक्षित निर्णयः**- हॉस्पिटल बोर्ड से अनुरोध है कि उक्त संशोधित विज्ञापन को प्रकाशित करने हेतु अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णयः- हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करते हुए निम्नलिखित निर्देश दिये गये-

1. संशोधित विज्ञापन में रिटायर्ड रेडियोलॉजिस्ट की सेवाएं लिए जाने का उल्लेख किया जाये।
2. चिकित्सालय में जब तक संविदा पर रेडियोलॉजिस्ट का चयन नहीं हो जाता है, तब तक विश्वविद्यालय में पीपीपी मॉडल पर संचालित फर्म से सी.टी./एक्स-रे/एम.आर.आई. हेतु टेली रिपोर्टिंग की सुविधा लेने हेतु प्रस्ताव प्राप्त किया जाये।

एजेण्डा बिन्दु 4.13 **पीसीटी टेस्ट हेतु मेसर्स पॉक्ट सर्विसेज, लखनऊ एवं मेसर्स अनिल सर्जिकल, इटावा द्वारा प्रस्तुत दरों के आधार पर तैयार तुलनात्मक विवरण पर निर्णय हेतु।**	**प्रस्तावना** : हॉस्पिटल बोर्ड की तृतीय बैठक के एजेण्डा बिंदु 3.11 (मेसर्स अनिल सर्जिकल के द्वारा चिकित्सालय के आईसीयू विभाग में पी.सी.टी. टेस्ट हेतु Europium Immunoassay System को निःशुल्क स्थापित करने के संबंध में।) में प्रस्तुत प्रस्ताव पर हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा मेसर्स पॉक्ट सर्विसेज, लखनऊ एवं मेसर्स अनिल सर्जिकल, इटावा द्वारा पीसीटी टेस्ट हेतु प्रस्तावित दर एवं चिकित्सालय में आने वाली लागत के आधार पर उक्ट टेस्ट हेतु तुलनात्मक विवरण तैयार किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। हॉस्पिटल बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की अध्यक्षता में गठित समिति सदस्यों (डा0 मनोज कुमार विभागाध्यक्ष मेडिसिन, डा0 हिमान्शू प्रिन्स उप-चिकित्सा अधीक्षक, डा0 अजय गुप्ता सेन्ट्रल लैब इन्चार्ज- बायोकमेस्ट्री) के द्वारा फर्म मेसर्स पॉक्ट सर्विसेज, लखनऊ एवं मेसर्स अनिल सर्जिकल, इटावा को विभिन्न तिथियों में विश्वविद्यालय द्वारा जारी कय आदेश के आधार पर निम्नांकित विवरण तैयार किया गया है :-

फर्म का नाम	टेस्ट का नाम	पैक साइज	प्रस्तावित दर	प्रति टेस्ट दर	कार्यालय आदेश संख्या
मेसर्स पॉक्ट सर्विसेज, लखनऊ	पीसीटी टेस्ट	25 टेस्ट/बाक्स	10592.50	423.68/-	914/MMD/24x7 Cent Lab(2899-CD)/25-26 dated 30 March, 2026

मेसर्स अनिल सर्जिकल, लखनऊ	पीसीटी टेस्ट	प्रति टेस्ट	679/–	679/–	1968/MM-Deptt-Emerg/168/06-07/23-24 dated 15 March, 2024

प्रस्ताव :– उक्त तालिका में अंकित विवरण के अनुसार पीसीटी टेस्ट हेतु विश्वविद्यालय में उपलब्ध मूल्य के आधार पर एल–1 फर्म मेसर्स पॉक्ट सर्विसेज है। अतः पीसीटी टेस्ट हेतु तुलनात्मक विवरण के आधार पर एल–1 फर्म से पीसीटी टेस्ट सम्पादित कराने हेतु हॉस्पिटल बोर्ड के निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

बोर्ड से अपेक्षित निर्णयः– हॉस्पिटल बोर्ड से अनुरोध है कि उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में निर्णय लेना चाहें।

हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णयः – समिति द्वारा प्रस्तुत तुलनात्मक विवरण में अंकित एल–1 फर्म मेसर्स पॉक्ट सर्विसेज, लखनऊ से पी0सी0टी0 टेस्ट करने हेतु अनुमति प्रदान की गयी।

एजेण्डा बिन्दु 4.14
विश्वविद्यालय कैम्पस को Disable Friendly कैम्पस के अन्तर्गत अपग्रेड करने हेतु यू0जी0सी0 गाईडलाईन्स को Adopt किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्तावनाः – विश्वविद्यालय को Disable Friendly कैम्पस के अन्तर्गत विकसित/अपग्रेड करने हेतु परिसर के समस्त भवनों में बाधारहित रैम्प, रेलिंग, लिफ्ट और दिव्यांग–अनुकूल शौचालय (Disabled & friendly Toilets) का निर्माण/अपग्रेड, दृष्टिबाधित व्यक्तियों हेतु मुख्य मार्गों पर टैक्टाइल पाथवे (Tactile Pathways) और ब्रेल साइनबोर्ड (Braille Signage) की व्यवस्था के साथ–साथ शैक्षणिक एवं डिजिटल सुगम्यता (Academic & Digital Accessibility) सुनिश्चित की जानी है। इस हेतु दिनांक 10.08.2026 को मा0 कुलपति महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न Disable Friendly कैम्पस समिति की बैठक के दौरान प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में उक्त हेतु यू0जी0सी0 द्वारा प्रचलित गाईडलाईन्स को Adopt किया जाना है।

पृष्ठभूमिः– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा जारी "Accessibility Guidelines and Standards for Higher Education Institutions and Universities" के अनुसार विश्वविद्यालय को दिव्यांगजन (Divyangjan) छात्रों, संकाय सदस्यों, कर्मचारियों एवं आगंतुकों के लिए पूरी तरह सुगम्य (Accessible) बनाया जाना है।

कृत कार्यवाही/निष्कर्ष/निर्णयः – दिनांक 10.08.2026 को मा० कुलपति महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक के दौरान दिये गये निर्देशों के अनुपालन में विश्वविद्यालय परिसर के सभी शैक्षणिक एवं चिकित्सालय भवनों, पुस्तकालयों और छात्रावासों को Disable Friendly कैम्पस के अन्तर्गत विकसित/अपग्रेड करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा जारी "Accessibility Guidelines and Standards for Higher Education Institutions and Universities" को Adopt किया जाना है।

प्रस्तावः – विश्वविद्यालय को Disable Friendly कैम्पस के अन्तर्गत विकसित/अपग्रेड करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा जारी "Accessibility Guidelines and Standards for Higher Education Institutions and Universities" को Adopt किये जाने हेतु हॉस्पिटल बोर्ड अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

बोर्ड से अपेक्षित निर्णयः– हॉस्पिटल बोर्ड से अनुरोध है कि उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णयः – हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी।

टेबल एजेण्डा

एजेण्डा बिन्दु 4.15

हिमोडायलिसिस पैकेज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB–PMJAY) के अंतर्गत निर्धारित सीमा 75 प्रतिशत से अधिक व्यय (Overshooting) हेतु समाधान एवं भावी नीति निर्धारण।

प्रस्तावना : विश्वविद्यालय में आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत MG072D – Haemodialysis (Day Care) Package के माध्यम से हीमोडायलिसिस की सुविधा प्रदान की जाती है। यह जीवनरक्षक प्रक्रिया है, जिसे मरीज की चिकित्सकीय आवश्यकता के अनुसार निर्धारित समय पर किया जाना आवश्यक है। **उक्त पैकेज की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि ₹1,650/- प्रति CASE है। विश्वविद्यालय द्वारा हीमोडायलिसिस सेवा हेतु मरीज से ₹1,250/– निर्धारित शुल्क लिया जाता है, जो आयुष्मान पैकेज धनराशि का लगभग 75.76 प्रतिशत है।**

पृष्ठभूमि:– चिकित्सालय में मरीजो को डायलिसिस की सुविधा प्रदान करने हेतु डायलिसिस पर प्रति केस आने वाला वास्तविक व्ययभार का विवरण निम्नवत है :–

पैकेज एवं व्यय की स्थिति

मद		राशि
MG072D **हीमोडायलिसिस पैकेज**		**रू0 1,650/–**
चिकित्सालय द्वारां हीमोडायलिसिस हेतु निर्धारित शुल्क		रू0 1,250/–
MG072D हीमोडायलिसिस पैकेज धनराशि का 75 प्रतिशत		रू0 1,237.50/–
हीमोडायलिसिस कन्सयूमेबिल धनराशि :		
Dialyser	310/-	
Blood Tubing	110/-	
Inj Heparin	45/-	
Fistula Needle	23/-	
Disinfectant	120/-	
Normal Saline	34/-	
Golves, IV Set, Syringes, Gauze Piece, Bitadin etch	60/-	
Dialysis Fluid	140/-	
Total Amount	**842/-**	
BASIC जॉचों (CBC, LFT, KFT, SERUM ELECTROOLYTES) पर व्यय		रू0 415/–
Erythropoietin Injection		रू0 134/–
Catheter (required for those patient who don't have fistula/vascular access)		रू0 1,500/–

प्रस्ताव : हीमोडायलिसिस जीवनरक्षक उपचार है। इसलिए पात्र मरीज को केवल पैकेज की सीमा–राशि के कारण चिकित्सकीय रूप से आवश्यक उपचार से वंचित किया जाना उचित नहीं होगा। अतः हीमोडायलिसिस पैकेज ओवरशूट की स्थिति में निम्नलिखित प्रस्ताव पर अनुमोदन अपेक्षित है :–

1. हीमोडायलिसिस हेतु ऐसे समस्त मरीज जो असाध्य रोग योजना मे उपचार की पात्रता रखते हैं नियमानुसार असाध्य रोग योजना के अंतर्गत हीमोडायलिसिस की सुविधा प्रदान किए जाने हेतु अनुमति।
2. अपरिहार्य परिस्थितियों में कुछ ऐसे मरीज जो असाध्य रोग योजना के अन्तर्गत नहीं आते हैं एवं आयुष्मान कार्ड धारक हैं, उन्हें AB–PMJAY के अंतर्गत हीमोडायलिसिस की सुविधा प्रदान करने हेतु हिमोडायलिसि कन्स्यूमेबिल धनराशि रू0 842 +

	बेसिक जॉच शुल्क रू0 415/– कुल धनराशि लगभग रू0 1257 (MG072D हीमोडायलिसिस पैकेज धनराशि का 75 प्रतिशत रू0 1,237/– से मात्र रू0 20/– अतिरिक्त) को विश्वविद्यालय द्वारा मरीज पर व्यय किये जाने हेतु अनुमति। 3. हीमोडायलिसिस हेतु Erythropoietin Injection Rs. 134/- एवं Cathter Cost Rs. 1,500/- (required for those patient who don't have fistula/vascular access) के व्ययभार का वहन किसके द्वारा एवं कि मद से किया जाएगा के संबंध में निर्णय लेने हेतु। **<u>हास्पिटल बोर्ड से अपेक्षित निर्णयः</u>**– हास्पिटल बोर्ड से अनुरोध है कि उक्त प्रस्ताव पर दिशा–निर्देश/अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

<u>हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णयः</u> – हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा निम्नानुसर निर्णय लिये गये कि–

1. हीमोडायलिसिस हेतु ऐसे समस्त मरीज जो असाध्य रोग योजना मे उपचार की पात्रता रखते हैं नियमानुसार असाध्य रोग योजना के अंतर्गत हीमोडायलिसिस की सुविधा प्रदान की जायेगी।
2. ऐसे समस्त मरीज जो आयुष्मान योजना के कार्ड धारक हैं, उनके लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB–PMJAY) के अंतर्गत MG072D हीमोडायलिसिस पैकेज की धनराशि रू.1650.00 (हीमोडायलिसिस+बेसिक जॉच) के अन्तर्गत डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जायेगी।
3. ऐसे मरीज जो आयुष्मान कार्ड धारक नहीं हैं और असाध्य रोग योजना के अन्तर्गत भी नहीं आते हैं, उनसे हीमोडायलिसिस की सुविधा हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क रू. 1250.00 एवं अन्य शुल्क (Basic Investigation, Erythropoietin Injection एवं Cathter Cost) आवश्यकतानुसार लिया जायेगा।

<u>एजेण्डा बिन्दु 4.16</u> **एस.जी.पी.जी.आई. और के.जी.एम.यू. के ऑडिटर द्वारा विश्वविद्यालय में संचालित सरकारी योजनाओं (असाध्य रोग, जे.एस.वाई., पी.एम.जे.ए.वाई., जे.एस.एस.के. इत्यादि) का ऑडिट करवाने हेतु।**	**प्रस्तावः**– विश्वविद्यालय के रोगी कल्याण प्रकोष्ठ के अन्तर्गत संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं/कार्यकमों (असाध्य रोग, जे. एस.वाई., पी.एम.जे.ए.वाई., जे.एस.एस.के. इत्यादि) में पंजीकृत मरीजों के उपचार में व्यय की गयी धनराशि/अभिलेखों के विभागीय ऑडिट को एस.जी.पी.जी.आई./के.जी.एम.यू. के ऑडिटर से कराया जाना प्रस्तावित है।

<u>हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णयः</u> – हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा उक्त प्रस्ताव को अनुमति प्रदान की गयी।

चिकित्सा अधीक्षक/संयोजक– हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा बैठक के अंत में हॉस्पिटल बोर्ड के समस्त सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

(प्रो0 (डॉ0) अमित सिंह)
चिकित्सा अधीक्षक
एवं संयोजक हॉस्पिटल बोर्ड,
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा

(प्रो0 (डा0) रमाकान्त यादव)
प्रति–कुलपति
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

(प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह)
कुलपति
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा